

## न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश पत्रक ता. 20.06.2025

जिला - गिरिडीह केस नं. ....69/2025 (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 1 के तहत)

दिनेश रजक - बनाम - पंचमोहन मंडल

(आदेश - भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 5 के तहत)

| आदेश का क्रमिक एवं दिनांक | कार्य एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कार्य पर की गई कार्यवाही एवं दिनांक |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                   |
| (II). 20.06.2025          | <p>आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिकता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, डुमरी को निदेशित किया गया। जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा भी स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन थाना ज्ञापांक 996/2025 दिनांक 10.06.2025 के माध्यम से समर्पित किया गया है, जिसमें वादगत भूमि के संबंध कहा गया कि उक्त दोनों पक्षों के बीच के विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव खोदकर पीलर उठाया जा रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में तनाव बना हुआ है तथा अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता है। थाना प्रभारी, डुमरी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p style="text-align: center;">— वादगत भूमि की विवरणी —</p> <p>मौजा : जामतारा, थाना नं० 103, खाता नं० 07, प्लॉट नं० 1555, रकबा: 25डी० के मध्ये 11 डी०</p> <p>थाना प्रभारी, डुमरी के द्वारा समर्पित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि "जाँच के क्रम में प्रथम पक्ष के दिनेश रजक के द्वारा बताया गया कि मौजा: जामतारा, खाता नं० 07, प्लॉट नं० 1555, रकबा 25 डी० जमीन इनके पूर्वज मिखारी धोबी के नाम से है। उक्त जमीन को लेकर पूर्व में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में केस भी चला था। जिसका केस नं. 167/86 है। इसी जमीन के लगभग 11 डी० जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजबरन बुनियाद काट कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, उसे मना करने पर मार-पीट करने पर उत्तारु हो जाता है। जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष के पंचमोहन मंडल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने यह जमीन तीन अलग-अलग केवाला द्वारा खरीद किए हुए हैं। इसलिए निर्माण कार्य कर रहे हैं। दोनों पक्ष एक ही जमीन को लेकर अपना-अपना दावा कर रहे हैं तथा दोनों पक्ष के द्वारा उक्त विवादित जमीन को लेकर अपने-अपने</p> |                                     |

पास कागजात होने की बात बताया जा रहा है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों पक्षों के बीच विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव खोदकर पीलर उठाया जा रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में तनाव बना हुआ है तथा अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विवादित भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा कार्यालय पत्रांक 474 दिनांक 18.06.2025 के माध्यम से स्थलीय एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें विज्ञ अंचल अधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच एवं राजस्व दस्तावेजों के आधार पर उक्त वादगत भूमि मौजा: जामतारा, थाना नं. 103, खाता नं. 07, प्लॉट संख्या 1555, रकबा: 25 डी. के मध्ये रकबा 11 डी, भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु अनुशंसा किया गया है।

विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर इस वाद में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को रिकॉल किया गया।

विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि मौजा: जामतारा, थाना नं 103, खाता नं. 7, प्लॉट नं. 1555, सर्वे रकबा: 25 डी. रैयती खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान उगन गोप बल्द लालो गोप के नाम से दर्ज है। वर्तमान में पंजी II के दृष्टव्य के आधार पर उक्त प्लॉट में दर्ज रकबा के आधार पर निम्नलिखित व्यक्तियों का जमाबंदी चल रहा है :-

1. खीरो रजक वो कार्तिक रजक वो बुधन रजक, पिता: करमचन्द रजक, खाता सं. 07, प्लॉट सं. 1555, रकबा: 07 डी० जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या 6/142 पर प्रथम पक्षकार का जमाबंदी कायम है।
2. सुनिता देवी पंचमोहन मंडल, पति: पंचमोहन मंडल, जाति: सुंडी, खाता सं. 07, प्लॉट सं. 1555, रकबा: 06 डी० जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या 16/26 पर द्वितीय पक्षकार का जमाबंदी कायम है।
3. पंचमोहन रेशमन एम, पिता: स्व. रेशमन मंडल, खाता सं. 07, प्लॉट सं. 1555, रकबा: 9.75 डी० जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या 20/40 पर द्वितीय पक्षकार का जमाबंदी कायम है।
4. पंचमोहन रेशमन एम, पिता: स्व. रेशमन मंडल, खाता सं. 07, प्लॉट सं. 1555, रकबा: 2.25 डी० जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या 22/4 पर द्वितीय पक्षकार का जमाबंदी कायम है।

उपरोक्त जमाबंदी के आधार पर उभय पक्षों से भूमि संबंधी कागजातों की मांग किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि संबंधी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु इनके द्वारा बताया गया कि मुझे उक्त प्लॉट की

b



भूमि पर केवाला के तहत रकबा 25 डी. भूमि हासिल है तथा बासगीत पर्चा के तहत रकबा 07 डी. भूमि हासिल है। प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन के साथ संलग्न बन्दोबस्त पट्टा सं. 1395 दिनांक 16.01.1988 में भीखारी धोबी वल्द पुनित धोबी के नाम से दो कठा दश धूर वो दश खुरपी हासिल होने हेतु दर्ज है, परन्तु उक्त पट्टा के संबंध में हलका पंजी II के अवलोकनोपरान्त भीखरी धोबी के नाम से जमाबंदी दर्ज नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रथम पक्ष से लगान रसीद वो जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य दस्तावेज वो अन्य दस्तावेजों की मांग किए जान पर प्रथम पक्ष के द्वारा इनकार किया गया तथा बासगीत पर्चा के तहत उक्त प्लॉट में रकबा 07 डी० भूमि का जमाबंदी खीरो रजक वगैरह के नाम से पाया गया है, जिसका विवरण उपरोक्त क्रमांक 1 पर स्पष्ट किया गया है। प्रथम पक्ष का घर बासगीत पर्चा के तहत हासिल भूमि रकबा 07 डी. पर बना हुआ है तथा वर्तमान में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के जिस भूमि रकबा 12 डी. पर अपना दावा कर रहे हैं उस भूमि पर कभी भी प्रथम पक्ष का कोई दखल नहीं रहा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से उक्त प्लॉट में भूमि क्रय किये जाने के संबंध में केवाला सं. 1998 दिनांक 28.04.2018, केवाला सं. 2022/GIR/2881/BK1/2681, दिनांक 02.08.2022 एवं केवाला सं. 2022/DUMR/654/BK1/637, दिनांक 03.11.2023 में क्रमशः 06 डी. 9.75 डी. एवं 2.25 डी. भूमि क्रय किए जाने के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर उक्त सभी केवाला में दर्ज रकबा के आधार पर पंजी II में जमाबंदी कायम है। जिसका विवरण उपरोक्त क्रम सं. 2, 3 एवं 4 में अंकित है। द्वितीय पक्ष अपने क्रय किए गए 18 डी. भूमि के मध्ये 06 डी. भूमि पर तीन मंजिला मकान बना हुआ है एवं बचे हुए शेष भाग रकबा 12 डी. पर पूर्व से बाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। विदित हो कि रकबा 12 डी. जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा क्रय किए गए भूमि पर पूर्व से ही खतियानी रैयत के द्वारा लगभग 50 वर्ष पहले कुआँ, मकान वो आठ फिट उँचा बाहरदिवारी का निर्माण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि खतियानी रैयत के द्वारा उक्त भूमि पर अपने दखल-कब्जा वो अधिकार के तहत भूमि को द्वितीय पक्ष को बेिक्री किया गया है तथा वर्तमान में द्वितीय पक्ष रकबा 12 डी. भूमि पर अपने दखल-कब्जा वो अधिकार के तहत बाहरदिवारी के अन्दर मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य की भूमि पर प्रथम पक्ष का कभी दखल-कब्जा नहीं रहा है।

उक्त भूमि के संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से प्राप्त दस्तावेज एवं प्रथम पक्ष की ओर से किये जा रहे दावे के तहत राजस्व दस्तावेजों का मिलान किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रथम पक्ष को बासगीत पर्चा के तहत रकबा 07

2

डी. हासिल रहने के साथ-साथ वादगत प्लॉट में रकबा करीब 25 डी. भूमि पर सब रजिस्ट्री ऑफिस डुमरी, सदर रजिस्ट्र ऑफिस यो जिला गिरिडीह में भीखारी धोबी के ना रहने हेतु दावा किया गया है। जबकि उक्त वादगत प्लॉट संख्या 1555 में कुल सर्वे रकबा 25 डी. खतियान में दर्ज है। जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा एक ही भूमि(वादगत भूमि) पर अलग-अलग दस्तावेज के आधार पर सर्वे रकबा से अधिक भूमि हासिल होने का दावा किया जा रहा है। जबकि प्रथम पक्ष को वादगत प्लॉट में सम्पूर्ण रकबा हासिल होने के उपरान्त पुनः बासगीत पर्चा के द्वारा रकबा 07 डी. भूमि हासिल होना संदिग्धता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है।

उपरोक्त के संबंध में उभय पक्षों के दस्तावेजों एवं स्थल पर दखल-कब्जा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला के तहत हासिल भूमि पर पूर्व से निर्मित चाहरदिवारी के अन्दर की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वादगत भूमि रकबा 12 डी. पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 (द०प्र०सं० की धारा 144) के तहत कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

#### — विचारण एवं आदेश —

प्रथम पक्ष के द्वारा लाए गए इस वाद में वादगत भूमि के संबंध में विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित विस्तृत स्थलीय एवं राजस्व जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा संलग्न राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट होती है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने खरीदगी भूमि जो कि चाहरदिवारी के अन्दर अवस्थित है, पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि उनके पूर्ण दखल-कब्जा में रहा है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशजों से भूमि क्रय किए हैं, जिस पर लगभग 50 वर्ष पहले से ही मकान, कुओं, चाहरदिवारी आदि बना हुआ है। उक्त भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी, डुमरी के कार्यालय में हरिजन कोषांग अभिलेख सं. 6/85-86 "बुधन रजक बनाम बाबुलाल गोप, ग्राम जामतारा" में विज्ञ अंचल अधिकारी डुमरी द्वारा दिनांक 18.01.1986 को पारित आदेश की छाया प्रति का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट होता है कि तत्समय भी विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा श्री बुधन रजक के आवेदन को रद्द करते हुए बाबुलाल गोप के सभी कागजातों को उचित करार दिया गया है। यद्यपि प्रथम पक्ष के द्वारा अपने समर्पित आवेदन में यह जिक्र किया गया है कि अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में अपील वाद सं. 167/88 "बुधन रजक यंगैरह बनाम बाबुलाल गोप" दायर किया गया तथा अपील आवेदन की छाया प्रति संलग्न किया गया है, परन्तु उक्त वाद में माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय

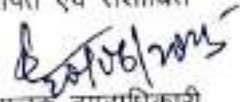


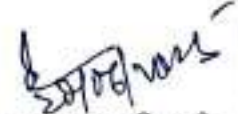
द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में माननीय भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय, गिरिडीह द्वारा उक्त वाद में पारित आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत बन्दोबस्ती दस्तावेज सं. 1395 दिनांक 16.01.1986 में आवेदित भूमि के संबंध में रानी रीखीनाथ कुंवरी से भीखारी धोबी वल्द पूनीत धोबी को भूमि प्लॉट सं. 1555 में दो कठा, दश धूर वो दश खुरपी हासिल होने का दावा किया जा रहा है, परन्तु उक्त रैयती भूमि का बन्दोबस्ती का जमाबंदी से संबंधित कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही उक्त रैयती भूमि के मध्ये 07 डी. भूमि खतियानी रैयत भगलु महतो वगैरह पिता कन्हाय महतो तथा खिरो महतो पिता चुरामन महतो से भी हासिल होने की बात कही जा रही है। प्रथम पक्ष वासगीत पर्चा द्वारा हासिल 07 डी. भूमि पर पर्चाधारी खीरो रजक, कार्तिक रजक, बुधन रजक का वर्तमान में मकान बना हुआ है, जिसमें पर्चाधारी के वारिशान निवास कर रहे हैं तथा उक्त भूमि का जमाबंदी भी कायम है। वासगीत पर्चा में यह भी अंकित है कि पर्चाधारी भूमिहीन है एवं मजदूर के श्रेणी में आते हैं। पर्चाधारी विगत 30 वर्षों से भूमि पर अपने से मकान बना कर रह हैं। मूल रैयत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष के द्वारा लाये गये इस वाद में वादगत भूमि जो कि द्वितीय पक्ष के द्वारा खरीदगी भूमि है एवं चाहरदिवारी के अन्दर है, अंचल अधिकारी, डुमरी के अधतन प्रतिवेदन में राजस्व अभिलेखों में द्वितीय पक्ष के नाम दर्ज रहना प्रतिवेदित किया गया है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल-कब्जा नहीं रहा है। अस्तु प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया वाद भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने योग्य है।

अतः भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 की उपधारा 5 के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा लाए गए इस वाद को खारिज किया जाता है एवं वाद आवेदन में अंकित भूमि को भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 (1) की कार्यवाही से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उभय पक्षकारों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, डुमरी को भी उपलब्ध कराएँ। आदेश की प्रति RCMS Portal पर अपलोड करें। वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
डुमरी।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
डुमरी।



# कार्यालय, अंचल अधिकारी, डुमरी, (गिरिडीह)

ई-मेल:- [circledumri@gmail.com](mailto:circledumri@gmail.com)

पत्रांक 434... दिनांक 18/06/2025

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,  
डुमरी (गिरिडीह)।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,  
डुमरी (गिरिडीह)।

विषय :- भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163 (दं0प्र0सं0 की धारा 144) के तहत दायर आवेदन (श्री दिनेश रजक पिता-बुधन रजक-बनाम-पंचमोहन मंडल पिता-स्व0 रेशमन मंडल) भूमि संबंधी जाँच प्रतिवेदन का प्रेषण।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-142/न्या0 दिनांक-04.06.2025

महाशय,

उपयुक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व कागजातो एवं स्थलीय जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-जामतारा, थाना नं0-103, खाता सं0-7, सर्वे रकबा-25 डी0 रैयती खाते की भूमि है। जिसका सर्वे खतियान उगन गोप वल्द लालो गोप के नाम से दर्ज है। वर्तमान में पंजी-11 के दृष्टव्य के आधार पर उक्त प्लॉट में दर्ज रकबा के आधार पर निम्नांकित व्यक्तियों के नाम जमाबन्दी चल रहा है। जिसका विवरण निम्नवत है :-

| क्र0सं0 | रैयत का नाम/पिता का नाम                                          | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकबा (डी0 में) | जमाबन्दी | अभियुक्ति    |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|----------|--------------|
| 01      | खीरो रजक वो कार्तिक रजक वो बुधन रजक पिता-करमचंद रजक              | 07       | 1555      | 07 डी0         | 6/142    | प्रथम पक्ष   |
| 02      | SUNITA DEVI PANCHMOHAN MANDAL पति-PANCH MOHAN MANDAL, जाति-सुड़ी | 07       | 1555      | 06 डी0         | 16/26    | द्वितीय पक्ष |
| 03      | Panchmohan Reshman M, पिता-Late Reshman Mandal                   | 07       | 1555      | 9.75 डी0       | 20/40    |              |
| 04      | Panchmohan Reshman M, पिता-Late Reshman Mandal                   | 07       | 1555      | 2.25 डी0       | 22/4     |              |

उपरोक्त जामाबन्दी के आधार पर उभय पक्षों से भूमि संबंधी कागजातो की माँग किया गया। जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि संबंधी कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु इनके द्वारा बताया गया की मुझे उक्त प्लॉट की भूमि पर केवाला के तहत रकबा-25 डी0 भूमि हासिल है तथा बासगीत पर्चा के तहत रकबा-07 डी0 भूमि हासिल है। भवदीय द्वारा पत्र में संलग्न प्रथम पक्ष के बन्दोबस्त पट्टा सं0-1395 दिनांक-16.01.86 में भीखारी धोबी वल्द पुनीत धोबी के नाम से दो कठ दश धुर वो दश खुरपी हासिल होने हेतु दर्ज है, परन्तु उक्त पट्टा के संबंध में हल्का पंजी-11 के अवलोकनोपरान्त भीखारी धोबी के नाम से जमाबन्दी दर्ज नहीं पाया गया। इस संबंध में प्रथम पक्ष से लगान रसीद वी जमाबन्दी से साक्ष्य दस्तावेज वो अन्य दस्तावेजों की माँग जाने पर देने से इन्कार किया



गया। तथा बासगीत पर्चा के तहत उक्त प्लॉट में रकबा-07 डी0 भूमि का जमाबन्दी खीरो रजक वगैरह के नाम से पाया गया है, जिसका विवरण उक्त कमांक सं0-1 पर स्पष्ट किया गया है। प्रथम पक्ष का घर बासगीत पर्चा के तहत हासिल भूमि रकबा-07 डी0 पर घर बना हुआ है। तथा वर्तमान में प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के जिस भूमि रकबा-12 डी0 पर अपना दावा कर रहे हैं उस भूमि पर कभी भी प्रथम पक्ष का कोई दखल नहीं रहा है।

द्वितीय पक्ष की ओर से उक्त प्लॉट में भूमि कय किये जाने के संबंध में केवाला सं0-1998 दिनांक-28.04.2018, केवाला सं0-2022/GIR/2881/BKI/2681, दिनांक-02.08.2022 एवं केवाला सं0-2023/DUMR/ 654/BKI/637 दिनांक-03.11.2023 में कमरा रकबा-06 डी, 9.75 डी0 एवं 2.25 डी0 भूमि कय किये जाने के संबंध में साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर उक्त सभी केवाला में दर्ज रकबा के आधार पर पंजी-11 में ~~वर्ज केवाला~~ में नाम के आधार पर जमाबन्दी कायम है। जिसका विवरण कमांक सं0-2, 3 व 4 में स्पष्ट किया गया है। तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा कय किये गये भूमि रकबा-18 डी0 भूमि के मध्ये 06 डी0 भूमि पर तीन मंजीला मकान बना हुआ है एवं बचे हुए शेष रकबा-12 डी0 भूमि पर पूर्व से चाहरदिवरी का निर्माण किया गया है। विदित हो की रकबा-12 डी0 जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा कय किये गये भूमि से पूर्व में ही खतियानी रैयत के द्वारा लगभग 50 वर्ष पहले कुआँ, मकान व आठ फिट उँचा चाहरदिवरी का निर्माण किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि खतियानी रैयत के द्वारा उक्त भूमि पर अपने दखल-कब्जा व अधिकार के तहत भूमि को द्वितीय पक्ष को बिक्री किया गया है। तथा वर्तमान में द्वितीय पक्ष रकबा-12 डी0 भूमि पर अपने दखल-कब्जा व अधिकार के तहत चाहरदिवरी के अन्दर मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य की भूमि पर प्रथम पक्ष का कभी भी दखल नहीं रहा है।

उक्त के संबंध में द्वितीय पक्ष की ओर से प्राप्त दस्तावेज एवं प्रथम पक्ष की ओर से किये जा रहे दावे के तहत राजस्व कागजातो का मिलान किया गया। जिसमें पाया गया कि प्रथम पक्ष को बासगीत पर्चा के तहत रकबा-07 डी0 हासिल रहने के साथ-साथ वादगत प्लॉट में रकबा-25 डी0 भूमि सब रजिस्ट्री ऑफिस डुमरी, सदर रजिस्ट्री ऑफिस व जिला गिरिडीह में भीखारी धोबी के नाम रहने हेतु दावा किया गया है। जबकि उक्त वादगत प्लॉट सं0-1555 में कुल सर्वे रकबा-25 डी0 खतियान में दर्ज है। जिसमें प्रथम पक्ष द्वारा एक ही भूमि (वादगत भूमि) पर अलग-अलग दस्तावेज के आधार पर सर्वे रकबा से अधिक रकबा की भूमि हासिल होने का दावा किया जा रहा है। जबकि प्रथम पक्ष को वादगत प्लॉट में सम्पूर्ण रकबा हासिल होने के उपरान्त पुनः बासगीत पर्चा के द्वारा रकबा-07 डी0 भूमि हासिल होना संदिग्धता की ओर आकृष्टित करता है।

उपरोक्त के संबंध में उभय पक्षों के दस्तावेजों एवं स्थल पर दखल-कब्जा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा केवाला के तहत हासिल भूमि पर पूर्व से निर्मित चाहरदिवरी के अन्दर की भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वादगत भूमि रकबा-12 डी0 पर भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 163 (दं0प्र0सं0 की धारा 144) के तहत कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त मामले पर राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोकनोपरान्त यह ज्ञात होता है कि उक्त वादगत भूमि मौजा-जामतारा, थाना नं0-103, खाता सं0-1555, रकबा-25 डी0 के मध्ये 12 डी0 पर दं0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत कार्रवाई नहीं किये जाने हेतु अनुसंशा कर भवदीय को अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी,  
डुमरी (गिरिडीह)।

ज्ञापक 996/2025  
डुमरी थाना, जिला गिरिडीह

दिनांक 10/06/2025

87 पांडेय जी  
6/14/06

वा में

अनुमंडल दण्डाधिकारी महोदय,  
डुमरी, जिला गिरिडीह।

प्रसंग :- भवदीय न्यायालय का ज्ञापक 142/न्या0 दिनांक 04.06.2025

विषय :- भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 183 (द0प्र0सं0 की धारा 144) के तहत दायर आवेदन, आवेदक दिनेश रजक पे0 बुधन रजक सा0 जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह -बनाम- पंचमोहन मंडल पे0 रेशमन मंडल सा0 जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह के बीच विवादित भूमि मौजा जामतारा, खाता नं0 07, प्लॉट नं0 1555, रकबा 25 डीसमील के मध्ये 11 डीसमील जमीन का चौहदी एवं मन्तव्य का जाँच कर जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि भवदीय न्यायालय का ज्ञापक 142/न्या0 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा आवेदन, आवेदक दिनेश रजक पे0 बुधन रजक सा0 जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह -बनाम- पंचमोहन मंडल पे0 रेशमन मंडल सा0 जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह के बीच विवादित भूमि मौजा जामतारा, खाता नं0 07, प्लॉट नं0 1555, रकबा 25 डीसमील के मध्ये 11 डीसमील जमीन का भवदीय न्यायालय में समर्पित की गई आवेदन जाँच हेतु भवदीय के निर्देशानुसार डुमरी थाना में प्राप्त हुआ। जिसका जाँच का जिम्मा थाना प्रभारी महोदय, डुमरी थाना के द्वारा मुझे सौंपा गया है।

थाना प्रभारी महोदय, डुमरी के आदेशानुसार मैं सशस्त्र बल के साथ मौजा जामतारा स्थित विवादित स्थल पर जाकर दोनों पक्षों एवं उपस्थित ग्रामीणों के समक्ष स्वतंत्र रूप से इसका जाँच किया।

जाँच के क्रम में प्रथम पक्ष के दिनेश रजक के द्वारा बताया गया कि मौजा जामतारा, खाता नं0 07, प्लॉट नं0 1555, रकबा 25 डीसमील जमीन इनके पूर्वज निखारी धोबी के नाम से है। उक्त जमीन को लेकर पूर्व में भूमि सुधार उप-समाहर्ता के न्यायालय में केस भी चला था। जिसका केस नं0 167/86 है। इसी जमीन के लगभग 11 डीसमील जमीन पर द्वितीय पक्ष के पंचमोहन मंडल पे0 रेशमन मंडल सा0 जामतारा, थाना डुमरी, जिला गिरिडीह के द्वारा बाजबरन बुनियात काट कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, उसे मना करने पर मारपीट करने पर उतारु हो जाता है।

उक्त विवादित जमीन के संबंध में जाँच के क्रम में द्वितीय पक्ष के पंचमोहन मंडल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने यह जमीन तीन अलग-अलग केवाला द्वारा खरीद किये हुए है। इसलिए निर्माण कार्य कर रहे है।

दोनों पक्षों के द्वारा एक ही जमीन को लेकर अपना-अपना दावा कर रहे है तथा दोनों पक्ष के द्वारा उक्त विवादित जमीन को लेकर अपने-अपने पास कागजात होने की बात बताया जा रहा है।

स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों पक्षों के बीच के विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव खोदकर पिलर उठाया जा रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में तनाव बना हुआ है तथा अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विवादित भूमि का चौहदी :- उत्तर- अंतु धोबी का मकान, दक्षिण- सड़क, पूरब- पंचमोहन मंडल का मकान, पश्चिम- गली।  
सादर सूचनाार्थ।



समर्पित  
Gopal Krishna  
10-06-25  
(गोपाल कृष्ण)  
पु0आ0नि0  
डुमरी थाना, गिरिडीह।



RCMSDAOFF25104165

आदेश फलक

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद संख्या 69/2025

दिनेश रजक

- प्रथम पक्ष

कतांग

पंचमोहन मंडल

- द्वितीय पक्ष

भा0ना0सु0सं0 की धारा 163 (धारा 144 सं0 प्र0 सं0) के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

धाना प्रभारी डुमरी के द्वारा वादगत भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

संदर्भ डुमरी धाना का ज्ञापक 996/2025 दिनांक 10.06.2025

धाना प्रभारी, डुमरी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि -

"स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त दोनों पक्षों के बीच के विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष के द्वारा नींव छोड़कर पीलर उठाया जा रहा है। जिसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में तनाव बना हुआ है तथा अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता है।"

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-मंग होने की आशंका है, को ध्यान में रखते हुए इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्यवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 163(1) भा0ना0सु0सं0 2023 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है

तथा उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की तिथि से अगले 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि (आवासीय परिसर को छोड़कर) पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 24/06/2025 को कारणपृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

वादगत भूमि का विवरण

| नीजा    | धाना नं. | खाला नं. | प्लॉट नं. | वादगत रकबा                   | विवादित भूमि का चौकदूरी - आवेदन के अनुसार |        |                      |        |
|---------|----------|----------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
|         |          |          |           |                              | उत्तर                                     | दक्षिण | पूर्व                | पश्चिम |
| जामतारा | 0103     | 07       | 1555      | 25 डिसमील के मध्ये 11 डिसमील | अनु घोषी का मकान                          | रोड    | पंचमोहन मंडल का मकान | गली    |

प्रथम पक्ष-

1. दिनेश रजक पिता : मुधन रजक  
साकिन जामतारा, धाना डुमरी, जिला गिरिडीह।

द्वितीय पक्ष-

1. पंचमोहन मंडल पिता : स्व० रेशमन मंडल  
साकिन जामतारा, धाना डुमरी, जिला गिरिडीह।  
लेखापितकार्यपालक दण्डाधिकारी  
डुमरी।कार्यपालक दण्डाधिकारी  
डुमरी।

ज्ञापक 168/2025 दिनांक 14/06/2025

प्रतिनिधि -

धाना प्रभारी, डुमरी को सूचनार्थ तथा उभय पक्षकार को नोटिस तामिला कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु तथा वादगत भूमि पर लागू निषेधाज्ञा का अनुपालन करवाने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक दण्डाधिकारी  
डुमरी।

Date Recall

20.6.2025.

अभिलेख उपस्थापित। इस वाद में वादगत भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी डुमरी द्वारा स्थल जाँच एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके आधार पर इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। आदेश को स्वच्छ रेडित प्रति 05 (पाँच) पन्नों में संलग्न है,

Executive Magistrate  
Dumrao